

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,
रायबरेली विकास प्राधिकरण,
रायबरेली।

सेवा में,

आवास बन्धु,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

सम्पत्ति अनुभाग

रायबरेली

दिनांक 05/02/2024

विषय :- अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-442/आ0ब0-1/निदेशक/2023-24 दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उन्होने अनिस्तारित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है, उक्त के क्रम में सूचना निम्नवत् है :-

क्र. सं. क	अभिकरण का नाम	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	अनिस्तारित सम्पत्तियों की संख्या	अनिस्तारित सम्पत्तियों की अनुमानित लागत (रु०-करोड़ में)	अनिस्तारित सम्पत्ति के निस्तारण हेतु अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण	अनिस्तारित सम्पत्तियों का निस्तारण किये जाने हेतु सुझाव	
1	रायबरेली विकास प्राधिकरण रायबरेली।	अमोल विहार योजना	03 बी.एच.के. (4 मंजिला)	08	6.38	पंजीकरण खुला हुआ है।	प्रत्येक नीलामी / लाटरी के माध्यम से सम्पत्ति का निस्तारण हो रहा है। शीघ्र सम्पत्ति आवंटित कर दी जायेगी।	
2			02 बी.एच.के. (4 मंजिला)	08	4.98			
3			एल0आई0जी0	01	0.22			
4		एकता विहार योजना	निर्बल आय वर्गीय भवन (भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल)	36	2.47	पंजीकरण खुला हुआ है।		
5				अल्प आय वर्गीय (भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल)	12			1.49
6				व्यवसायिक भूखण्ड	01			4.65
7				व्यवसायिक दुकान	06			0.52
8		इन्दिरा नगर योजना	व्यवसायिक-दुकान	06	2.13	समय-समय पर नीलामी की सूचना प्रकाशित करायी गयी।		
9		सुपर मार्केट	व्यवसायिक काम्प्लेक्स	02	1.18			
	कुल				24.02 करोड़			

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना से अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय



अधिशारी अभियन्ता
रायबरेली विकास प्राधिकरण
रायबरेली।

